न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

अपील संख्या :– 04/2023

उनवान

कंचन
गंगाराम
गोकुल
समदाराम } पुत्रान भोरिया उर्फ बोदूराम

मनभर देवी
राजा देवी
सन्ती देवी } पुत्रीयान भोरिया उर्फ बोदूराम

समस्त व्यस्क, समस्त जाति गुर्जर, निवासी सुकसर की ढाणी, ग्राम कुम्भावास, तह0 शाहपुरा ...ा जयपुर राज0।

अपीलार्थीगण

बनाम

...रपंच, ग्राम पंचायत सुराणा, प0स0 शाहपुरा जिला जयपुर, राजस्थान

...जस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर, राजस्थान

अप्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 743 दिनांक 10.03.2023 को अपास्त व निरस्त किये जाने बाबत्

निर्णय दिनांकः 17/7/23

...करण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ख0 न0 80/0.11, 81/0.31, 82/0.07, 88/0.05 कुल ...4 रकबा 0.5400 है0 भूमि वाकै ग्राम कुम्भावास, पटवार हल्का सुराणा, भू.अ.नि. खोरालाडखानी, ...शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जो अपीलार्थीगण तथा रेस्पोडेन्टस के पूर्वज पिता स्व0 ...उर्फ बोदू पुत्र नारायण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि में अपीलार्थीगण के ...स्व0 भोरिया उर्फ बोदू पुत्र नारायण की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ...दा कानूनी वारिस अपीलार्थीगण है। तथा खातेदार स्व0 भोरिया उर्फ बोदू की पत्नी गुलाब देवी ...गुलाब की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके जायन्दा कानूनी वारिस अपीलार्थीगण है। इस प्रकार ...वर्णित भूमि में स्व0 भोरिया उर्फ बोदू पुत्र नारायण की मृत्यु के पश्चात उसके जायन्दा कानूनी ...सो ने ग्राम पंचायत सुराणा में भोरीया उर्फ बादू का मृत्यु प्रमाण पत्र शपथ पत्र पेश कर उक्त ...त भूमि में स्व0 भोरीया उर्फ बोदू के बजाय अपने नाम नामान्तरण खुलवाने के लिये पेश की है। ...न ग्राम पंचायत सुराणा द्वारा नामान्तरण संख्या 743 निर्णय दिनांक 10.03.2023 के द्वारा ...लार्थीगण को बिना सूचना दिये नामान्तरण को खारीज/अस्वीकार कर दिया। जबकि ...लार्थीगण मृतक स्व. भोरीया उर्फ बोदू के कानूनी जायन्दा वारिस है जिनके नाम उक्त वर्णित ... में उनका नाम दर्ज नही कर बिना किसी अधिकार के कानूनी भूल की है। जबकि उपरोक्त ...ित भूमि में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज होना चाहिये। इस प्रकार ग्राम पंचायत सुराणा ने ...लार्थीगण का नाम दर्ज नही कर नामान्तरण खारीज कर दिया। इस प्रकार उक्त नामानतरण ...ा किसी अधिकार व कानून के विपरित होने से निरस्तनीय है। उक्त नामान्तरण के विरूद्ध अपील ...न आधारो पर पेश है–

...यह कि अपीलाधीन नामान्तरण वास्तविक तथ्यों एवं विधि द्वारा पारित निर्णत विधि–विधान एवं ...ावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के विपरित पारित किया गया है इसलिए निरस्तनीय है।

...यह कि अपीलाधीन नामान्तरण में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नही कर भारी भूल की है जबकि ...पीलार्थीगण का उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में अपने नाम व हिस्सा अंकित होना चाहिये था

उपखण्ड अधिकारी

न अपीलार्थीगण का उक्त संपूर्ण भूमि में से नाम व हिस्सा दर्ज नही कर भारी भूल की है तथा लार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो पर बिना किये ही उक्त नामान्तरण खारीज किया गया है जो निरस्तनीय है।

कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तत दस्तावेजो पर बिना गौर किये ही उक्त नामानतरण ज किया गया है जो निरस्तनीय है।

इ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नही कर कानून का उल्लघंन किया न कारण निरस्तनीय है।

इ कि अन्य वाक्यांश वरवक्त मौखिक बहस अर्ज किये जायेंगे।

इ कि अपीलार्थीगण ने आज से सप्ताहभर पूर्व अपनी उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी वाई तब उसमें अपना नाम दर्ज नही होने की जानकारी मिली तब अपीलार्थीगण को पता चला नका नाम फौतगी नामान्तरण में दर्ज नहीं हुआ है इस प्रकार उक्त नामान्तरण व राजस्व की जानकारी मिलते ही अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सुराणा प.स. शाहपुरा जिला जयपुर के द्वारा नामान्तरण 743 दिनांक 10.01.2023 निर्णय दिनांक 10.03.2023 के द्वारा खारिज /अस्वीकार किये गये तरण को अपास्त किया जाकर पुनः नामान्तरण भरकर अपीलार्थीगण का नाम उसके हिस्से र राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपील पेश होने पर विधिवत दर्ज रजिस्ट्रर होने पर गैर अपीलान्ट की तलबी की गई गैर न्ट की जरीये रजिस्ट्रड डाक से तामील पर गैर अपीलान्ट सं0 01 की ओर से अपना जवाब र जाहिर किया कि नामान्तरण सं0 743 खोले जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। पत्रावली में पेश मृत्यु प्रमाण पत्र में अपीलार्थीगणो के का नाम बोदूराम गुर्जर है तथा पंचायत वारिस में भौरिया उर्फ बोदूराम दर्ज है। गैर अपीलान्ट के द्वारा मात्र इस आधार पर निर्णय पारित किया है कि जमाबंदी व मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक न अलग–अलग दर्ज होना पाया जाता लेकिन अपीलान्ट मृतक भौरिया उर्फ बोदूराम के पुत्र/पुत्री है इसकी कोई विधिक जानकारी/जांच नही की जाकर नामान्तकरण सं0 743 के के समय खातेदार भौरिया उर्फ बोदू पुत्र नारायण के विधिक वारिसान के विरासत के रण में जमाबंदी और मृत्यु प्रमाण पत्र में अलग–अलग नाम होने से खारिज किया गया है मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। ग्राम द्वारा विधिक वारिसान की जांच किये बिना निर्णय पारित किया गया है तथा न ही ट को सुनवायी का अवसर दिया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये का पर्याप्त आधार होने एवं वकील अपीलान्ट की बहस तथा पत्रावली में पेश दस्तावेज के पर नामान्तकरण निरस्त/अपास्त किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को खातेदार के विधिक न की जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत के द्वारा पारित नामान्तकरण सं0 743 निर्णित दिनांक 10.03.2023 को अपास्त किया जाकर लदार शाहपुरा को को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार भौरिया उर्फ बोदूराम पुत्र ण जाति गुर्जर निवासी कुम्भावास तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के विधिक वारिसान की विधिवत कर नियमानुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 17/7/23 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर